

5

न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं
गोटासीन अधिकारी :::: सतीश कुमार (नायब तहसीलदार)
मिसल नं. :::: 67 / 2021

सरकार बनाम मानसिंह पुत्र श्योनारायण, जाति- जाट
निवासी- हमीरवास

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत


निर्णय दिनांक : 30.07.2021

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायल मानसिंह पुत्र श्योनारायण, जाति- जाट, निवासी- हमीरवास द्वारा रोही मौजा हमीरवास की राजकीय भूमि ख.नं. 4 के कुल रकबा 0.25 है० किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.04 है० भूमि पर जुताई कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया। जिसमें गैर सायल द्वारा अपना अतिक्रमण अस्वीकार किया। अन्य कोई साक्ष्य / सबूत पेश नहीं किया। चूंकि राजस्व रिकार्ड में कटानी रास्ता दर्ज है। अतः गैर सायल का जवाब संतोषप्रद नहीं माना जा सकता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायल को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उसके विरुद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 15रु. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावे। पटवारी / गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावे। मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.07.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

स० से० स० 4 के मु० सं० -15
वर्ष. 2021-22 रकम: 15/- कायम कर
राजस्व लेखाकार


(सतीश कुमार)
नायब तहसीलदार, सूरजगढ़